संख्या-9/2021/64 ई-2/तेरह-2021

प्रेषक,

उमेश कुमार तिवारी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊःदिनांकः 22 जनवरी, 2021

विषय-मेसर्स डालमिया चीनी मिल्स, (आसवनी इकाई) जवाहरपुर, जिला-सीतापुर की अधिष्ठापित क्षमता 120 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात् वर्ष में 350 कार्य दिवस के आधार पर 420 लाख लीटर से बढ़ाकर 200 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात् वर्ष में 350 कार्य दिवस के आधार पर 700 लाख लीटर वार्षिक किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं.-जी-69/दो-प्रा.डी.-107/दिनांक 07 जनवरी 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त प्रदेश के राजस्व एवं औद्योगिक हित में मेसर्स डालमिया चीनी मिल्स, (आसवनी इकाई) जवाहरपुर, जिला सीतापुर की अधिष्ठापित क्षमता 120 कि.ली प्रतिदिन अर्थात् वर्ष में 350 कार्य दिवस के आधार पर 420 लाख ली. से बढ़ाकर 200 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात् वर्ष में 350 कार्य दिवस के आधार पर 700 लाख लीटर वार्षिक किये जाने एवं विस्तारित की जाने वाली क्षमता के अन्तर्गत बाजार की मॉग के अनुसार रेक्टिफाइड स्प्रिट अथवा अब्सोल्यूट अल्कोहल का निर्माण एवं बिक्री किये जाने की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि आसवक को भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से विस्तारित क्षमता के अनुसार अल्कोहल उत्पादन से पूर्व पर्यावरणीय क्लीयरेन्स/अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं पेसो से आवश्यक अनुज्ञापन प्राप्त कर कार्यालय आबकारी आयुक्त को उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा तथा आसवनी द्वारा समस्त आवश्यक पर्यावरणीय तथा अन्य सांविधिक शर्तों एवं केन्द्र/राज्य द्वार स्थापित विधियों आदि का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

कृपया तद्नुसार अग्रतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(उमेश कुमार तिवारी)
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।